

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-V/2018/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैण्ड	ग्रेड पे
1.	श्री अमित कुमार दोसी, कनिष्ठ सहायक, बांस वाडा।	05.12.1998	18 वर्ष	05.12.2016	5200-20200	2800
2.	श्री मनोहर लाल चांवला, कनिष्ठ सहायक, श्रीगंगानगर।	23.01.2001	09 वर्ष	23.01.2010	5200-20200	2000
3.	श्री शम्भूलाल सैन, कनिष्ठ सहायक, चित्तौडगढ	19.03.2008	09 वर्ष	19.03.2017	5200-20200	2800

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 02/07/18

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-V/2018/1919

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा/श्रीगंगानगर/चित्तौडगढ।
2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अनूपगढ, श्रीगंगानगर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीदौरा, बांसवाडा।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर